



चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वाडों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्कवायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनांक 29.07.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 112/2022 धारा 3/25 ए आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रवि उर्फ नन्ना पटेल पुत्र राममिलन निवासी सिद्धपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 2000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनांक 29.07.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2015 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त बसीर कन्जड पुत्र रशीदा निवासी पटेल नगर थाना मानिकपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 800/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(4). आज दिनांक 29.07.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहदअली की उपस्थिति में थाना बरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत चौकी हरदीकलां में निर्माणाधीन पुलिस आवास एवं ग्राम कल्चिहा में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माणाधीन पुलिस मल्टीपर्पज बिल्डिंग का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रगति एवं निर्धारित मानकों का गहन अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखने तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के लिए भी निर्देशित किया।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि पुलिस मल्टीपर्पज बिल्डिंग के निर्माण से पुलिस विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा पुलिस कर्मियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे आमजन को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। निरीक्षण के दौरान प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्रीमती रीता सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री पंकज तिवारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।